दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 05 जनवरी, 2023
उद्घोषित : 17 फरवरी, 2023

रि.या.(सि.) 14390/2022

एम.ए. अंसारी, अधिवक्ता ... याचिकाकर्ता

द्वारा : मोहम्मद अशफाक अंसारी, अधिवक्ता सह याचिकाकर्ता स्वयं

बनाम

भारत संघ व अन्य ... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री नागेंद्र बेनीपाल, वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता, सुश्री अर्पिता रावत, श्री अंकित सिवाच एवं सुश्री हरिथी कम्बिरी, अधिवक्तागण सह श्री मनोज शर्मा, विंग कमांडर

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u>

<u>न्या., सुरेश कुमार कैत</u>

1. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें विद्वान

वायु सेना अधिकरण (जिसे अब से "अधिकरण" के रूप में संदर्भित किया जाता है) द्वारा मू.आ. संख्या 42/2012 में दिनांक 04.12.2019 को पारित आदेश एवं मू.आ. संख्या 42/2012 में पु.आ. 27/2020 में दिनांक 08.10.2021 के आदेश को अपास्त व दरकिनार करने की मांग की गई है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे याचिकाकर्ता की पेंशनरी तथा अन्य लाभ उसकी सेवामुक्ति की तारीख अर्थात् दिनांक 18.11.2009 या 20.07.2010 से जारी करें।

2. याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे दिनांक 15.10.1992 को भारतीय वायु सेना में एयरमैन के रूप में भर्ती किया गया था। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया है कि उसने अपनी सेवा के 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 12.03.2008 को समयपूर्व सेवामुक्ति / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन किया है। उसने यह भी दावा किया है कि उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध पत्र दिनांकित 03.07.2008; 08.10.2008; 20.03.2009 भेजे थे, हालांकि, उन्हें प्रत्यर्थी द्वारा सम

तिथियों के आदेशों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 09.07.2009 को वह वायु सेना स्टेशन, बीठा, पटना में तैनात था, हालाँकि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोधों के कारण वह वहां शामिल होने के लिए अनिच्छुक था। उनकी तैनाती पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को इस न्यायालय के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय ने भी अस्वीकार कर दिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, वायु सेना विधि के उल्लंघन में दिनांक 18.11.2009 को कार्यालय में उसके प्रवेश को वर्जित कर दिया गया। जब याचिकाकर्ता अपने कार्यालय में पुनः प्रवेश पाने के प्रयास में विफल रहा, तो उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रि.या.(सि) 7/2010 के रूप में एक याचिका दायर की, जिसमें प्रत्यर्थी को भारतीय वायु सेना विधि के अनुसार सेवामुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई। उक्त याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, हालाँकि, पेंशन लाभ हेतु उपचार की स्वतंत्रता, जैसा विधि में उपलब्ध हो, प्रदान की गई।

3. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थीगण से अपनी पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभ की मांग करते हुए अभ्यावेदन दिनांकित 22.01.2010 दिया। अपने अभ्यावेदन का कोई उत्तर न मिलने पर याचिकाकर्ता ने दिनांक 10.02.2010 को इस न्यायालय के समक्ष रि.या.(सि) सं 886/2010 दायर की। उक्त याचिका की विचाराधीनता के दौरान, दिनांक 26.02.2010 को याचिकाकर्ता को 03 महीनों के लिए अभित्यजन के आरोप में उसके निवास से गिरफ्तार किया गया तथा उसे दिनांक 20.07.2010 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अभित्यजन करने के आरोप के अतिरिक्त, उसके प्रवेश पर प्रतिबंध / सेवा से हटाए जाने अर्थात दिनांक 18.11.2009 से पूर्व 5 अन्य छोटे-मोटे आरोपों को भी इसमें जोड़ दिया गया। इस बारे में याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कि सेना न्यायालय के आदेश के खिलाफ और पेंशन लाभ मांगने के लिए वायु सेना अधिनियम की धारा 161(2) के तहत उसकी अपील केंद्र सरकार के समक्ष लंबित है, उसकी याचिका [रि.या.(सि) सं. 886/2010] को दिनांक 29.04.2011 को वापस लेने पर खारिज किया गया। पेंशन

लाभ की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को प्रत्यर्थीगण द्वारा उपयुक्त प्राधिकारियों अर्थात जेटी. जेएजी (वायु), वायु मुख्यालय, वायु भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित किया गया था, क्योंकि बर्खास्त किए गए व्यक्तियों को भारत के माननीय राष्ट्रपति से पेंशन प्रदान की गई थी।

4. याचिकाकर्ता दावा करता है कि उसके पूरे कार्यकाल के दौरान उसका आचरण अच्छा रहा, जैसा कि दिनांक 07.09.2011 के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र से स्पष्ट है जो दर्शाता है कि याची को दिनांक 20.07.2010 तक अच्छे आचरण वेतन का भुगतान किया जा रहा था। याची ने उसके बाद विद्वान अधिकरण के समक्ष मू.आ. सं. 42/2012 दायर किया, जिसमें प्रत्यर्थीगण को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई| हालांकि, अधिकरण ने याचिकाकर्ता को अपनी पिछली याचिका, रि.या.(सि) सं 7/2010 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ उक्त मू.आ. को वापस लेने की अनुमति प्रदान की| इसके बाद,

याचिकाकर्ता द्वारा रि.या.(सि) सं 7/2010 में वि.आ. सं. 2739/2018 के रूप में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कह कर निपटाया गया था कि दिनांक 15.01.2010 का आदेश सुस्पष्ट था तथा विद्वान अधिकरण द्वारा दिनांक 20.03.2018 को पारित आदेश को इस निर्देश के साथ अपास्त कर दिया गया था कि अधिकरण द्वारा गुणागुण के आधार पर मू.आ. 42/2012 को सुना जाए।

5. अभिवचनों के पूर्ण होने तथा गुणागुण के आधार पर सुनवाई के बाद, विद्वान अधिकरण ने दिनांक 14.07.2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के पेंशन की मंजूरी के दावे को अस्वीकार किया तथा मू.आ. 42/2012 को खारिज कर दिया। यहां तक कि याचिकाकर्ता की पुनर्विलोकन याचिका (पु.या. सं 27/2020) भी विद्वान अधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई थी।

6. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिकरण द्वारा दिनांक 04.12.2019

एवं 08.10.2021 के आदेशों के माध्यम से पेंशन लाभों से वंचित करने से याचिकाकर्ता के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों के साथ भी गंभीर अन्याय हुआ है। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 18.11.2009 को अपने कार्यालय में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और उसके बाद, उसने पेंशन लाभ प्रदान किये जाने के लिए दिनांक 19.12.2009 को रि.या.(सि) 7/2010 दायर करके पहले इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जबकि याचिकाकर्ता को दिनांक 20.07.2010 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि कुछ मामलों में जहां गंभीर आरोप थे, वहां भी पेंशन लाभ प्रदान किए गए हैं। रि.या.(सि) 1588/2013 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया गया है, जिसमें याचीगण को भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे गंभीर आरोपों पर बर्खास्त किया गया था, फिर भी उन्हें पेंशन दी गई थी।

7. विद्वान अधिवक्ता ने सहानुभूतिपूर्वक प्रस्तुत किया कि अपनी सेवा के दौरान, याचिकाकर्ता ने जम्मू और कश्मीर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं,

कारगिल युद्ध में भागीदारी तथा संसद पर हमले में 17 साल तथा 276 दिनों की लंबी अवधि में संक्रिया सेवाएं प्रदान की थीं, जिसके लिए याचिकाकर्ता को दिनांक 20.07.2010 को उसकी बर्खास्तगी तक "अच्छा आचरण बैज वेतन" के माध्यम से लगातार मौद्रिक रूप से पुरस्कृत किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान अधिकरण के समक्ष, ***भारत* संघ व अन्य बनाम देवजी मिश्रा** (2016)10 एससीसी 445; रिट याचिका (सि) 1588/2013 *शीर्षक* ***एक्स-सार्जेंट आरएस द्विवेदी बनाम भारत संघ व अन्य*** में ***निर्णय दिनांकित*** 23.09.2013***;*** ***भूतपूर्व-कमोडोर सुखजिंदर सिंह बनाम भारत संघ*** (*मू.आ. संख्या* 302/2013); ***भूतपूर्व-कमोडोर सत्यवीर सिंह पायल बनाम भारत संघ*** (*मू.आ. सं.* 27/2013), ***भूतपूर्व-नायक मनोज कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ व अन्य.*** (*मू.आ. सं.* 146/2011); ***एस मुथु कुमारन बनाम भारत संघ*** (सि.अ. सं. ***352/2017) लेफ्टीनेंट कर्नल (टीएस) हरबंस सिंह संधू बनाम भारत* संघ व अन्य** (2002) 1 एससीसी 427 पर भरोसा जताया गया हैं, हालांकि, याचिकाकर्ता के मामले में इन निर्णयों पर उनके सही

परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया है। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को अपास्त किए जाने योग्य हैं तथा याचिकाकर्ता पेंशन लाभ प्राप्त करने का हकदार है तथा इसलिए, यह याचिका अनुज्ञात किए जाने की हकदार है।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पर वायु सेना अधिनियम, 1950 के तहत जिला सेना न्यायालय (जि.से.न्या.) द्वारा याचिकाकर्ता पर निम्नलिखित सात आरोपों पर मुकदमा चलाया गयाः-

(i) **<u>सेवा से अभित्यजनः-</u>** याचिकाकर्ता को 20.11.2009 तक 776 एस.यु. को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं की और खुद अनुपस्थित रहा और 26.02.2010 को अपनी गिरफ़्तारी होने तक अनुपस्थित रहा|

(ii) **<u>पर्याप्त कारण के बिना उसे अवकाश के उपरान्त अनुपस्थिति प्रदान की गई-</u>** याचिकाकर्ता को 30.05.2009

से 07.06.2009 तक अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी, हालाँकि वह 26.06.2009 तक अवकाश के उपरान्त अनुपस्थित रहा था|

(iii) **<u>अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ अवज्ञापूर्ण भाषा का प्रयोग करना</u>**

(iv) **<u>वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा आरोप लगाना यह जानते हुए भी कि ऐसा आरोप झूठा है</u>**

(v) **<u>बिना अनुमति के अनुपस्थित होना:-</u>** याचिकाकर्ता 22.10.2009 से 17.11.2009 तक बिना अवकाश के अनुपस्थित रहा|

(vi) **<u>इस तरह से अवज्ञा करना जिससे प्राधिकार की इरादतन अवहेलना प्रदर्शित हो, जो अपने पद के निष्पादन में उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई हो</u>:-** याचिकाकर्ता ने निर्देशों के बावजूद अपने संचलन आदेश

को ना लेकर पोस्टिंग पर आगे नहीं गए|

(vii) <u>अच्छी व्यवस्था और वायु सेना के अनुशासन के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य</u>

9. याचिकाकर्ता को दूसरे आरोप के आलावा बाकि छह आरोपों पर दोषी पाया गया है और एक वर्ष का कठोर कारावास, सेवा से बर्खास्तगी और रैंक में कमी का दंड दिया गया| हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील विचाराधीन रहने के दौरान इस न्यायालय के आदेशों के तहत सजा को निलंबित कर दिया गया था, जिसका निपटान 01.09.2011 को किया गया था| इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि पेंशन की मंजूरी के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विचार किया गया था और दिनांक 01.09.2011 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था| विद्वान अधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील (मू.आवे. सं. 74/2012) को भी दिनांक 24.05.2016 के आदेश द्वारा उसके गुणागुण के आधार पर खारिज कर दिया गया था| यहाँ तक कि अन्य अपील जो कि मू.आ.

42/2012 थी जिसके द्वारा पिछले सेवा लाभों की मांग की गई थी को भी विद्वान अधिकरण द्वारा दिनांक 04.12.2019 के आदेश द्वारा खारिज किया गया था| मू.आवे. सं. 42/2012 में पुनर्विलोकन याचिका अर्थात पु.आ. 27/2020 होने के कारण विद्वान अधिकरण द्वारा 08.10.2021 को खारिज कर दी गई थी| रिट याचिका जो रि.या.(सि.) 5973/2020 थी याचिकाकर्ता द्वारा उसके बाद दायर की गई जो इस न्यायालय के दिनांक 04.09.2020 के निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी जिसे उच्चतम न्यायालय ने वि.अनु.या. 360/2022 में दिनांक 30.09.2022 के आदेश द्वारा बरकरार रखा गया था|

10. यह प्रस्तुत किया गया कि पेंशन की मंजूरी के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर रक्षा मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था और वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ता द्वारा पेंशन की मांग की मंजूरी में हस्तक्षेप करने वाला कुछ भी ठोस प्रस्तुत नहीं किया गया है| यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा जिन फैसलों पर भरोसा किया गया उनमें यह पाया गया कि बर्खास्तगी की सजा बहुत कठोर थी और इसलिए कम सजा दी गई थी| यह प्रस्तुत किया

गया कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रकथन असमर्थनीय हैं और याचिकाकर्ता एक अनुशासनहीन एयरमैन था जो नियमित रूप से सेवा नियमों और विनियमों के लिए कम सम्मान व्यक्त करता था और सेवा से बर्खास्तगी के अनुसरण में, याचिकाकर्ता पेंशन, ग्रेच्युटी आदि सेवा लाभों के लिए अयोग्य हो गया है|

11. खंडन में, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ से वंचित करना, जिसने 15 साल से अधिक की सेवा दी है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है| **पूर्व सार्ज. आर.एस. द्विवेदी (पूर्वोक्त)** के मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय पर पुनः भरोसा किया गया जिसमें वायु सेना के तीन कर्मियों को सेवा से बर्खास्तगी के बाद भी पेंशन दी गई थी| यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता की पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं और पेंशन की मंजूरी से याचिकाकर्ता को आर्थिक दबाव से बाहर निकलने में मदद मिलेगी|

12. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री की सुनवाई और अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि हालाँकि वर्तमान याचिका में पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी के पिछले दौरों के संबंध में विभिन्न प्रकथन किए गए हैं, परन्तु, पेंशन की मंजूरी के मुद्दे को निर्णय हेतु खुला छोड़ दिया गया था, जिसका निर्णय विद्वान अधिकरण ने मू.आवे. 42/2012 में दिनांक 04.12.2019 के आदेश द्वारा दिया है जिसमें याचिकाकर्ता की पात्रता के अनुसार उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी और कैंटीन, चिकित्सा आदि सहित अन्य लाभों की मांग करते हुए अपील को निम्न के आधार पर खारिज कर दिया गया है:-

> *"27. वर्तमान मामले में, आवेदक ने उसको दिए गए दंड को चुनौती दी और उसको दिए गए दंड को न केवल इस अधिकरण द्वारा बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया है और यह दिखाने के लिए कोई निष्कर्ष अभिलिखित या निर्णय उपलब्ध नहीं है कि दंड बहुत कठोर था या अपराध की गंभीरता से असंगत होने के कारण संशोधन की आवश्यकता थी| इस मामले में वह प्रक्रम पहले*

ही बीत चुका है और दिया गया दंड अपनी अंतिमता पर है, जब दंड की मात्रा में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो जिन भी निर्णयों पर भरोसा किया गया वो आवेदक के मामले में लागू नहीं की जा सकती थीं| सभी मामले जिन पर भरोसा किया गया है उनमें तथ्यों और विधि के आधार पर स्पष्ट रूप से अंतर किया जा सकता है| आवेदक को पूर्व की कार्यवाहियों में यह प्रार्थना करनी चाहिए थी जब उसने एक अतिरिक्त प्रार्थना के द्वारा दंड को चुनौती दी कि यदि कदाचार साबित हो जाता है या आरोप सही होते हैं तो भी दिया गया दंड बहुत कठोर है और इसमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए| इसलिए, इन कार्यवाहियों में हम अब मामले को फिर से नहीं खोल सकते और आनुपातिकता की या दिए गए दंड के प्रश्न का फिर से आकलन नहीं कर सकते| जैसा कि ऊपर बताया गया है, कानूनी उपबंध स्पष्ट रूप से यह विचार रखता है कि जब किसी एयरमैन को सेवा से बर्खास्त या हटाया

जाता है तो वह पेंशन या ग्रेच्युटी का हकदार नहीं होता है| असाधारण परिस्थितियों में, कानून सक्षम प्राधिकारी अर्थात माननीय राष्ट्रपति या केंद्र सरकार को पेंशन या ग्रेच्युटी प्रदान करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है| जब सांविधिक प्राधिकारी के पास उपलब्ध शक्ति की प्रकृति विवेकाधीन है और यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रयोग किया गया विवेकाधिकार मनमाना, अनुचित या कानून के प्रावधानों के विपरीत है तो इस अधिकरण द्वारा किसी विशेष तरीके से विवेकाधिकार का उपयोग करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है| सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को लाभ से वंचित करने के लिए ठोस निर्णय पर पहुंचा गया या निर्णय लिया गया या राय को रखा गया हो तो हमारे द्वारा इन कार्यवाहियों में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और ना ही हम कथित फैसले पर निर्णय कर सकते है जब तक कि विधि में इसकी अनुमति नहीं हो|

28. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हम पाते हैं कि आवेदक द्वारा जिस राहत का दावा किया गया है वह इस अधिकरण द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है| तदनुसार, मू.आ. को खारिज कर दिया जाता है।'

13.दिनांक 08.10.2021 के आदेश के माध्यम से, मूल आवेदन संख्या 42/2012 में पुनरीक्षण याचिका संख्या 27/2020 होने के कारण याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका को निम्नानुसार खारिज कर दिया गया हैः- -

> "पुनरीक्षण के लिए उठाए गए आधार **<u>सासी (मृत) विधिक प्रतिनिधि द्वारा बनाम अरविन्दक्षण नायर और अन्य</u>** [(2017) 4 SCC 692] में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के भीतर नहीं आते हैं।"

14. प्रासंगिक रूप से, इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या ऊपर उल्लिखित आधार पर याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी के बाद, याचिकाकर्ता पेंशन लाभ प्रदान

करने का हकदार है, जिसका विद्वान् अधिकरण द्वारा खंडन किया गया है|

15. प्रासंगिक रूप से, यह पहले से ही देखा गया है और निर्णयों की श्रृंखला में कहा गया है कि सेना न्यायालय द्वारा एक अधिकारी की बर्खास्तगी के मामले में, पेंशन के लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता है।

16. याचिकाकर्ता को पेंशन देने से इनकार करने के लिए, विद्वान अधिकरण ने वैधानिक प्रावधान अर्थात् वायु सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 (भाग-1) को संज्ञान में रखा है, जो भारत सरकार के उप सचिव द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को जारी परिपत्र में संशोधित और निहित है, ताकि यह माना जा सके कि जब किसी एयरमैन को सेवा से बर्खास्त या हटाया जाता है, तो वह अपनी पिछली सेवा के संबंध में पेंशन के लिए योग्य नहीं है। हालाँकि, विशेष परिस्थितियों में, राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से ऐसे एयरमैन को पेंशन और उपदान प्रदान कर सकते हैं। अधिकरण ने निर्णय दिया है कि यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे लाभों से इनकार किया जाता है, तो केवल तभी न्यायिक समीक्षा की मांग की जा सकती है ,जब गलती करने वाले अधिकारी को यह साबित करना हो कि उसके साथ मनमाना और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है। अधिकरण ने आगे

यह भी देखा कि याचिकाकर्ता केवल एक भेदभाव- न्यायिक पूर्व निर्णय पर भरोसा करने में समर्थ रहा है|

17. इस पहलू पर हम पाते हैं कि पेंशन और अन्य सहायक लाभों की मंजूरी के मामले में विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करने से पहले, इसमें कोई शक नहीं सक्षम प्राधिकारी, दोषी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखता है, लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि कदाचार या दुराचार के लिए अधिकारी को पहले से ही सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना लगाकर दंडित किया गया है और इस बात का ध्यान रखा जाना बाकी है कि क्या परिस्थितियां उसे पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग करती हैं। इस मामले में, हम पाते हैं कि उसकी बर्खास्तगी से पहले, याचिकाकर्ता ने भारतीय वायु सेना में 15 साल की सेवा प्रदान की थी और उसकी सेवा इतिहास पत्र उसकी प्रदान की गई सेवाओं के बारे में बहुत कुछ बताता है, जो नीचे उल्लेखित हैं :-

युद्ध सेवा, दायर सेवा, पदकों की सजावट और प्रेषण में उल्लेख और प्रशंसा	*प्राधिकार और प्रभावी तिथि*	*अपीलकर्ता के सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि दर्ज करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर*	*सेवा रिकॉर्ड में प्रवेश की पुष्टि करते हुए अधिकारी द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित।*

34 विंग (i) अस्थायी रूप से अधिकृत 50 वर्ष स्वतंत्रता पदक	*पीओआर संख्या 73/98 दिनांक 15.07.1997*	*अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि दर्ज करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित*	*सेवा रिकॉर्ड में प्रवेश की पुष्टि करते हुए अधिकारी द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित।*
41 हस्ताक्षर (ii) 01.10.2002 से प्रभावी अस्थायी रूप से "ज. एवं क." पदक पहनने के लिए अधिकृत	*01-10-2002 पी.ओ.आर संख्या 41एस/29/07 दिनांकित 20.10.2007*	*अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि का प्रतिलेखन करते हुए अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित*	*सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि की पुष्टि करते हुए अधिकारी द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित।*
41 हस्ताक्षर (III) 15.10.2021 से प्रभावी	*15. 10. 2001 पी.ओ.आर संख्या 41एस/29/07 दिनांकित 20.10.2007*	*अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि का प्रतिलेखन करते हुए अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित*	*सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि की पुष्टि करते हुए अधिकारी द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित।*

अस्थायी रूप से '9 वर्ष दीर्घ सेवा पदक' पहनने के लिए अधिकृत			
<u>41 हस्ता क्षर</u> (iv) 01.11 .1997 से प्रभावी अस्थायी रूप से 'डेजर्ट पदक' पहनने के लिए अधिकृत	*01-11-1997 पी.ओ.आर. सं. 41 एस/29/07 दिनांकित 20.10.2007*	*अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि का प्रतिलेखन करते हुए अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित*	*सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि की पुष्टि करते हुए अधिकारी द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित।*

41 हस्ता क्षर (v) 01.07 .1999 से प्रभावी अस्थायी रूप से "ऑप. विजय पदक" (1999 में कारगिल युद्ध) पहनने के लिए अधिकृत	*01.07.1999 पी.ओ.आर. सं. 41 एस/29/07 दिनांकित 20.10.2007*	*अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि का प्रतिलेखन करते हुए अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित*	*सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि की पुष्टि करते हुए अधिकारी द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित।*
41 संकेत (vi) 13.12 .2001 से प्रभावी अस्था यी रूप से	*13. 12. 2001 पी.ओ.आर. नं. 41 एस/29/07 दिनांकित 20.10.2007*	*अपीलार्थी की सेवा रिकोर्ड में प्रविष्टि प्रतिलेखन करते हुए अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित*	*सेवा रिकोर्ड में प्रविष्टि की पुष्टि करते हुए अधिकारी द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित*

"ऑप. पराक्रम" (2001 में संसद पर हमला युद्ध) को पहनने के लिए अधिकृत			
*<u>कें. वा. सै. च बो.</u> (vii) 15. 10.1996 से प्रभावी "*अच्छा आचरण *बैज भुकतान "की पहली दर से पुरस्कृत*	*15. 10. 1996 पी.ओ.आर. सं. <u>कें. वा. सै. च बो.</u>/97/96 दिन. 15.10.1996*	*अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि का प्रतिलेखन करते हुए अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित*	*सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि की पुष्टि करते हुए अधिकारी द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित।*
*<u>34 विंग</u> (viii)15. 10.1996 से प्रभावी "*अच्छा आचरण *बैज भुकतान*	*15. 10. 2000 पी.ओ.आर सं. 34 डब्ल्यू /99/00* दिनां. *15. 10. 2000*	*अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि का प्रतिलेखन करते हुए अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित*	*सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि की पुष्टि करते हुए अधिकारी द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित।*

"की दूसरी दर से पुरस्कृत			
*41 सिग्न (ix) 01. 03.2005 से प्रभावी "*अच्छा आचरण *बैज भुकतान "की तीसरी दर से पुरस्कृत*	*01-03-2005 पी.ओ.आर सं.41एस/05 /07*	*अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि का प्रतिलेखन करते हुए अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित*	*सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि की पुष्टि करते हुए अधिकारी द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित।*

18. हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि याचिकाकर्ता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करते हुए प्रत्यर्थीगण को दिनांक 03.07.2008; 08.10.2008; 20.03.2009 के पत्रव्यवहार द्वारा बार-बार लिखता और अभ्यावेदनों को देता आ रहा था, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था| इसके बजाय, याचिकाकर्ता को वायु सेना स्टेशन, बिहटा, पटना में नियुक्त किया गया जहां वह शामिल होने के लिए अनिच्छुक था| इसमें कोई शक नहीं कि कर्मचारी विशेष रूप से सेना के एक अधिकारी को उसकी सनक और इच्छाओं के अनुसार काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और सेवा से मुक्ति

या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करना अधिकार का मामला नहीं है लेकिन यह उसके कर्तव्यों की चूक है याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप तय किए गए हैं और उसे दोषी ठहराते हुए उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र में बैठते हुए, हम अधिकरण की इस राय से सहमत नहीं हैं कि याचिकाकर्ता केवल न्यायिक उदाहरणों पर आधारित है हालांकि, याचिकाकर्ता की इस दलील को नजरअंदाज कर दिया है कि उसकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और उसके पास एक बेरोजगार पत्नी के अलावा तीन बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं जो स्कूल जा रहे हैं|

19. इस न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता ने निवेदन करने के लिए **आर. एस. द्विवेदी (पूर्वोक्त)** में इस न्यायालय के निर्णय पर बहुत भरोसा किया है कि गंभीर आरोपों को लगाए जाने के बावजूद, याचीगण का पेंशन लाभ दिया गया था| ***आर. एस. द्विवेदी (पूर्वोक्त)*** वाले मामले में विद्वान अधिकरण ने निम्नलिखित राय व्यक्त की हैः- -

> "*21. अगला मामला, जिसका उल्लेख आवेदक ने किया था, पूर्व. सार्जेंट आर. एस. द्विवेदी बनाम भारत संघ और अन्य में एक खण्ड पीठ का दिनांक 23.09.2013 का निर्णय था, जो पेंशन और अन्य लाभों को प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करते हुए मू. आवे. सं. 33/2013 में इस अधिकरण के निर्णय के खिलाफ दायर किया गया था। उच्च*

न्यायालय ने उसमें याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी थी लेकिन उसे केवल पेंशन की मंजूरी के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी और सक्षम प्राधिकारी को निर्णय में संदर्भित दो व्यक्तियों को दिए गए लाभों को ध्यान में रखते हुए उसके अभ्यावेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया गया हमारे किए हुए विचार में यह मामला भी आवेदक के लिए कोई मददगार नहीं है"

20. विद्वान अधिकरण ने अवलोकन किया है कि इस न्यायालय ने ***आर. एस. द्विवेदी (पूर्वोक्त)*** में केवल याचीगण को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान किया था और न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष पेंशन लाभ प्रदान नहीं किए गए थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय से दिनांक 10.09.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त एक जवाब की ओर दिलाया था, जिसमें दिखाया गया था कि गंभीर आरोपों के बावजूद भी, ***पूर्व सर्जेंट आर. एस. द्विवेदी*** को 60% पेंशन का लाभ प्रदान किया गया है; ***पूर्व सर्जेंट के. सी.*** को 70% पेंशन का लाभ प्रदान किया गया है; और ***पूर्व विंग कम.***

बी.डी. जेना को 90% पेंशन का लाभ प्रदान किया गया है इस न्यायालय की किए हुए विचार में, परिस्थितियों और तथ्य की समग्रता को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था उसके तीन स्कूल जाने वाले बच्चे और गृहिणी हैं| याचिकाकर्ता प्रदान की गई सेवाओं के लिए पेंशन लाभ के हकदार हैं|

21. तदनुसार, वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है। प्रत्यर्थीगण को चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ तुरंत जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

22. उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका और लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का तदनुसार निपटान किया जाता है।

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायाधीश

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

17 फरवरी, 2023
आर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*